## प्रक्रियात्मक सारांश

12/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। वकील प्रार्थी को सुना गया। रिपोर्ट तहसीलदार (जैसलमेर) मय फर्द बलगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मिसल किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :— 14/20 पीठासीन अधिकारी लालसोट

रज्जू दिनांक 13—07—2020 श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

पुरूषोत्तम पुत्र घासीलाल जाति खाती निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

## प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने सीमाज्ञान व पत्थरगढी

**अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट**

**निर्णय** दिनांक : 12-6-23

उपस्थित :— श्री सी.बी.सिंह एडवोकेट प्रार्थी

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 117 रकबा 03 बीघा एवं खसरा नं0 122 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 635/118 रकबा 2.0000 हैक्टैयर भूमि वाकै ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। तथा काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। परन्तु आसपास के पडौसी खातेदार लाठी व पैसे एवं राजनैतिक ताकतवर लोग है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की कुचेष्ठा करते रहते है। जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते है। खातेदारी भूमि का हनन कर रहे है अप्रार्थी को प्रार्थी ने कई

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScanner

बार सीमाज्ञान करवाने हेतू कहां परन्तु सीमाज्ञान करवाना नही चाहते है। जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का सद्प्योग करने से वंचित रह रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का चिन्हीकरण पत्थरगढी व तारंबदी करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी गरीब किस्म का व्यक्ति है। यदि प्रार्थी की खातेदारी भूम पर पत्थरगढी व तारबंदी नही करवाई गई तो प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होगी। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद से करवाया जाना आवश्यक है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी करवाई जाकर पत्रावली को इन्तजार रिपोर्ट/तामील पर रखी गई पत्पश्चात अप्रार्थी सख्या 1 ने दिनांक 02–06–2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल कर पत्रावली अंतिम बहस हेतू दिनांक 07–06–2023 नियत की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी पर सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नं0 117 रकबा 03 बीघा एवं खसरा न0 122 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 635/118 रकबा 2.0000 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी कायम करने हेतु दो गिरदावर दो कुशल पटवारीयान की टीम गठीत कर उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर एस.एच.ओ. लालसोट से पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/6/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner